Ref No-205/G/ OA-39/ Dharampal/2022 dt- 13-5-22.

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi

Subject :-<u>Action taken report in compliance of order dated 10-02-2022 in OA No. 39/2022 Dharampal singh & Anr Versus State of Uttar Pradesh &Ors .</u>

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble Tribunal has given direction as below :-

"........2.In view of above, District Magistrate,Meerut and state PCB may look into the matter in coordination with the concerned officers and take remedial action in accordance with law.The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance . The action taken report may be filed before the Tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in perferabely in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF . It may mention the status of damage to the pond in quantified terms and remedial measures proposed .

The applicant may serve a set of papers on District Magistrate,Meerut and State PCB and file affidavit of service within one week ....."

In the compliance of above directions an inspection of the site mentioned in the order of Hon'ble Tribunal, was carried out by a joint inspection team comprising of the officials from the offices of District Magistrate, Meerut , DPRO(Jila Panchayat Raj Adhikari), BDO(Block Development Officer) and UP Pollution Control Board, Meerut inspected the Site mentioned in the order on dated 23/03/2022.During the inspection,joint team has observed that the matter is completely related to Encroachment/Dispute of Habitants.A detailed report has submitted by BDO,is annexed as annexure-1

Accordingly a action taken report is being submitted along with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

Your faithfully,

13/05/2022
(Dr Yogender Kumar)
Regional Officer
Meerut

C.C :-

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board,Lucknow.
2. <u>District Magistrate Meerut</u>

Annexure-1

K/ No- 205/G/OA-39/Dharampal/2022

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी
रोहटा (मेरठ)

सेवा में

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ।

पत्रांक 236 /ख0वि0अ0/चिंदौडी–एनजीटी/2022–23 दिनांक– 05–05–2022

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–39/2022 धर्मपाल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 के कम में जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक 1649/ओ0ए039/2022 एम0आर0टी0 दिनांक 30.03.2022 के अनुपालन में किये गये स्थलीय निरीक्षण की आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के पत्र संख्या 1649/ओ0ए039/2022 एम0आर0टी0 दिनांक 30.03.2022 अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 39/2022 धर्मपाल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 के कम में गठित तीन सदस्यीय समिति में अधोहस्ताक्षरी को भी नामित किया गया है तथा स्थलीय निरीक्षण कर अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के कम मे अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण की स्थलीय जांच के समय अधोहस्ताक्षरी के साथ उपजिलाधिकारी,मेरठ के प्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार, जिला पंचायत राज अधिकारी मेरठ के प्रतिनिधि के रूप में सहायक विकास अधिकारी(पं0) रोहटा के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ के सहायक पर्यावरण अभियन्ता दिनांक 23.03.2022 को उपस्थित थे। स्थलीय जांच आख्या निम्न प्रकार हैः–

1–जिंस स्थान पर वादी/शिकायत कर्ता द्वारा जल भराव की समस्या एवं प्रदूषण होने की शिकायत की गई है उस स्थान पर स्थलीय निरीक्षण के समय न तो कोई जल भराव पाया गया और न ही किसी स्थान पर प्रदूषण पाया गया, परन्तु नाली में पानी भरा हुआ है क्योंकि पहले से ही शिकायत कर्ता श्री धर्मपाल व विनोद राणा व अन्य मौहल्ले वालो के घरों का पानी भी इसी नाली में से होकर तालाब व संख्या 186 में जा रहा है। इसके साथ–2 यह भी अवगत कराना है कि श्री धर्मपाल व विनोद राणा आदि के द्वारा अपने घर के सामने का रास्ता ऊंचा कर रखा है जिस कारण हरिजन बस्ती/नाली में पानी भरता है।

2–तहसीलदार महोदय, मेरठ की जांच आख्या एवं मौके के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम चिंदौडी पटटी डालू मेंएक तालाब खसरा संख्या 186 है, जो ग्राम के नजदीक है और इसी में नाली का पानी जाता है नजरी नक्शे मे दर्शाये गये बिन्दू A से पश्चिम दिशा की ओर बिन्दू B,C,D से होते हुये जाता रहा है।इसके अतिरिक्त ग्राम चिंदौडी खास में तालाब खसरा संख्या 305 स्थित है, जो हरिजन बस्ती से दूर पडता है और ऑवर फ्लो है और इसी कारण ग्राम चिंदोडी खास के निवासीगण इस तालाब में पानी डालने/पानी का बहाव करने से मना करते है।स्थलीय जॉच के समय तीन सदस्यीय टीम द्वारा जब पानी निकासी तालाब खसरा संख्या 305 में कराने हेतु कहा गया तो ग्रामवासियों द्वारा इसका विरोध किया गया और मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

3–सचिव चिंदोडी खास द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार ग्राम चिदौडी पटटी डालू में पानी निकासी हेतु नालियों का बहाव तालाब संख्या 186 की ओर किये जाने का कार्य वर्ष 2021–22 की कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं था। सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त समस्या के समाधान एवं पानी निकासी हेतु उक्त कार्य को इस वित्तीय वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है।

4–पानी निकासी के समाधान हेतु तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि उक्त पानी की निकासी हेतु भदौडा से ढडरा जाने वाले नाले में पहुचाया जा सकता है। इस कार्य में अधिक धनराशि के व्यय की सम्भावना को देखते हुये यह कार्य जिला पंचायत के स्तर से ही कराया जाना सम्भव है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में उक्त नाला खुदाई कार्य जिला पंचायत के स्तर से कराया जाना प्रस्तावित था, जिसकी खुदाई हेतु

Annexure-1

क्षेत्रीय लेखपाल, जिला पंचायत के जे0ई0 व ड्राफट मैन की संयुक्त टीम द्वारा गाटा संख्या 266 व 272 नाला की पैमाइश कर निशानदेही कर दी गई थी,(छाया प्रति संलग्न) परन्तु सम्भवतः नाला खुदाई का कार्य जिला पंचायत द्वारा अपरिहार्य कारणों से कराया जाना सम्भव नही हो पाया। नाला निर्माण में अधिक धनराशि व्यय होने के फलस्वरूप यह कार्य किया जाना संभव नही है।

श्री धर्मपाल सिंह द्वारा समाधान दिया गया है कि ग्राम–डालू पट्टी का पानी तालाब खसरा संख्या–305 चिन्दौडी में डाला जायें, परन्तु ग्रामवासियों द्वारा खसरा संख्या–305 में पानी डाले जाने पर आपत्ति जताई गयी। केवल दो व्यक्ति धर्मपाल व विनोद राणा द्वारा ही अनु0 बस्ती का पानी 186 तालाब में जाने का विरोद्ध किया जा रहा है तथा चिन्दौडी खास का तालाब 305 खसरा नं0 अनु0 बस्ती से दूर है तथा पूर्व में ही ओवर फ्लो है। हमारा प्रस्तावित समाधान है कि अनुसूचित बस्ती की नाली का बहाव खसरा नं0–186 की तरफ करके इनके घरो का पानी तालाब खसरा संख्या–186 में भूमिगत पाईप लाईन वाली नाली बनाकर डाला जायें। प्रार्थी धर्मपाल व विनोद राणा की छवि ग्राम वासियों की नजर में सही नही है, क्योंकि धर्मपाल व विनोद राणा चाहते है कि ग्राम की किसी भी बस्ती का हमारे घर के सामने नाली बनाकर तालाब नं0–186 में न पहुंचाया जायें, जबकि इनका खुद का पानी तालाब खसरा नं0–186 में ही जाता है, परन्तु वर्ष 2005 के बाद धर्मपाल सिंह व विनोद राणा के द्वारा अपने घर के पास का रास्ता ऊंचा कराकर अनुसूचित बस्ती का पानी तालाब खसरा संख्या–186 में जाने से रोक दिया गया था तथा पानी तालाब खसरा संख्या–305 वाला तालाब ओवर फ्लो होने के कारण ग्राम वासियों द्वारा डालू पट्टी का पानी तालाब संख्या–305 में जाने हेतु मना कर दिया गया। अतः डालू पट्टी की अनुसूचित जाति की बस्ती का पानी तालाब संख्या–186 में जाना सही है। पानी के उपचार के लिए खसरा संख्या–186 वाले तालाब में सिल्ट, केचर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी सूचना प्रदूषण विभाग को भी दे दी गयी है।

अतः स्थलीय निरीक्षण आख्या वांछित संलग्नकों सहित आपकी सेवा मे सूंचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय	भवदीय	भवदीय	भवदीय
Rajesh			
खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड–रोहटा(मेरठ)।	जिला पंचायत राज अधिकारी मेरठ।	सहायक अभियन्ता(पर्या0) क्षेत्रिय प्रदूषण कार्यालय मोदीपुरम, मेरठ।	उपजिलाधिकारी सदर, मेरठ।

Annexure 1

letter 1

पत्रांक - 155

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्यालय उप-जिलाधिकारी/उप-जिला मजिस्ट्रेट, सदर
तहसील-सदर, मेरठ-250001

पत्रांक 818 /एस0डी0-एस0डी0एम0 दिनांक 3-12-2021

जिलाधिकारी,
मेरठ।

महोदय,

कृपया प्रार्थीगण श्री धर्मपाल, विनोद, रोजपाल व रामधन निवासीगण ग्राम चिन्दौड़ी पट्टी डालू परगना तहसील व जिला मेरठ के प्रार्थना-पत्र पर पारित अपने पृष्ठांकन आदेश संख्या 1107/जनता दर्शन-स्वागत सहायक, दिनांक सहित का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें महोदय द्वारा जांचोपरान्त अवैध अतिक्रमण हटवाकर शिकायत का समाधान कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार मेरठ से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार मेरठ की आख्या के अनुसार ग्राम चिन्दौड़ी पट्टी डालू परगना तहसील व जिला मेरठ स्थित अनुसूचित जाति के बाल्मिकी व जाटव बस्ती के गन्दे पानी के भराव की निकासी के प्रबंध हेतु गांव में भ्रमण करके जानकारी की गयी। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2007-08 में ग्राम में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सी0सी0रोड व नालियों का निर्माण कराया गया था। तत्समय से ही बाल्मिकी जाति की बस्ती में गन्दा पानी भरा रहता है तथा बीमारी फैलने की सम्भावना बनी रहती है। मौके का नजरी नक्शा तैयार किया गया, जो साथ में संलग्न है। संलग्न नक्शा नजरी में ग्राम चिन्दौड़ी पट्टी डालू में दो तालाब खसरा संख्या 186 व 305 है, जिनमें नाली का पानी जाता है। संलग्न नक्शा नजरी में दर्शाये गये बिन्दु "A" से पश्चिम दिशा की ओर बिन्दु "B" "C" "D" होते हुए तालाब संख्या 186 में जाट जाति के परिवारों की आबादी का गन्दा पानी नाली में होकर जा रहा है। बिन्दु "A" से बिन्दु "E" "F" "G" M" "I" "J" "K" "L" तक पानी का बहाव पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है तथा बिन्दु "E" "F" "G" "H" से होकर गया पानी नाली व रास्ते में भरा हुआ है। इसी प्रकार बाल्मिकी बस्ती का पानी बिन्दु "G" "M" से होते हुए बिन्दु "I" तक जाता है तथा "G" से "I" तक नाली में भरा रहता है। उक्त संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु "I" पर दक्षिण दिशा में राजेश व ओमपाल पुत्रगण सुक्खन निवासीगण चिन्दौड़ी पट्टी डालू ने चबूतरा बनाकर कब्जा कर रखा है, जिसको तुड़वाकर नाली बनवाकर पानी की निकासी का विकल्प है। इस प्रकार पानी की निकासी का प्रबंध किया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय के सामने बिन्दु "H" से "I" तक नाली बनी हुई है तथा बिन्दु "I" "J" "K" "L" तक नाली का पुर्ननिर्माण (पर्याप्त चौड़ा) करा दिया जाये, तो जल भराव की स्थिति का समाधान हो जायेगा। इस प्रकार में पूर्व में भी नाली बनाने हेतु आख्या प्रेषित की जा चुकी है।

उक्त विकल्प के अनुसार रास्ते की भूमि से अवैध कब्जा पक्का चबूतरा तुड़वाकर नाली का निर्माण खण्ड विकास अधिकारी रोहटा के स्तर से कार्यवाही की जानी है। जिसके सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी रोहटा को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित करते हुए प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है।

आख्या महोदय की सेवा में तहसीलदार मेरठ की मूल आख्या सहित सादर प्रेषित।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(संदीप भागिया)
ज्वांइट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1- खण्ड विकास अधिकारी रोहटा को तहसीलदार मेरठ की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
[illegible]

महोदय,

संलग्न पत्र 1304 / S.T. दिनांक 26.10.2021 के आदेश के अनुपालन में ग्राम चिन्दौड़ी पट्टी डालू में बाल्मीकि / जाटव जाति की आबादी में गन्दे पानी की निकासी हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया जांच आख्या निम्न प्रकार है

ग्राम चिन्दौड़ी पट्टी डालू परगना व तहसील मेरठ स्थित अनुसूचित जाति के बाल्मीकी व जाटव बस्ती के गन्दे पानी के भराव की निकासी के संबंध हेतु गांव में भ्रमण करके जानकारी की गयी मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि 2007-08 में ग्राम में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सीसी रोड व नालियों का निर्माण कराया गया था। तत्समय से ही बाल्मीकि जाति की बस्ती में गन्दा पानी भरा रहता है तथा बिमारी फैलने की संभावना बनी रहती है। मौके का नजरी नक्शा तैयार किया गया जो साथ संलग्न है।

संलग्न नक्शा नजरी में ग्राम चिन्दौड़ी पट्टी डालू में दो तालाब खसरा संख्या 186 व 305 है जिनमें नाली का पानी जाता है।

संलग्न नक्शा नजरी में दर्शाये गये बिन्दु A से पश्चिमदिशा की ओर बिन्दु BCD होते हुए तालाब संख्या 186 में जाट जाति के परिवारो की आबादी का गन्दा पानी नाली में होकर जा रहा है बिन्दु A से बिन्दु EFGMIJKL तक पानी का बहाव पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है तथा बिन्दु EFGH से होकर गया पानी नाली के रास्ते में भरा हुआ है इसी प्रकार बाल्मीकि बस्ती का पानी बिन्दु GM से होते हुए बिन्दु I तक जाता है तथा G से I तक नाली में भरा रहता है।

उक्त संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु I पर दक्षिण दिशा में राजेश व ओमपाल पुत्रगण सुखलाल निवासीगण चिन्दौड़ी पट्टी डालू ने चबूतरा बनाकर कब्जा कर रखा है जिसको तुड़वाकर नाली बनवाकर पानी की निकासी का विकल्प है। इस प्रकार

Annexure-1

पानी की निकासी का प्रबन्ध किया जा सकता है।

[illegible] निरीक्षण के संलग्न बिन्दु 11 से 7 तक नाली बनी हुई है तथा बिन्दु 7 से 8 तक नाली का पुननिर्माण (नाली चौड़ी) कराया जाने से [illegible] की स्थिति का समाधान हो जायेगा। इस प्रकरण में पूर्व में भी उपजिलाधिकारी रोहटा द्वारा 23-[illegible] को नाली बनाने हेतु जिलाधिकारी रोहटा, मेरठ को आख्या प्रेषित की गई थी जिसकी छाया प्रति साथ संलग्न है।

अतः निरीक्षण के अनुसार रास्ते की भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर तुड़वाकर नाली का निर्माण खण्ड विकास अधिकारी रोहटा से, सदर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

[signature]
21-11-2021
पवन धार [illegible]
क्षेत्र............
तहसील सदर, मेरठ

__प्रतिवेदन__

लेखपाल [illegible] आख्यानुसार निरीक्षण के अनुसार रास्ते की भूमि से अवैध कब्जा पक्का चबूतरा तुड़वाकर नाली का निर्माण खण्ड विकास अधिकारी रोहटा के द्वारा से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

[signature]
29-11-21

32-[illegible]

__[illegible]__

उ० प्र० नि० की आख्या सादर प्रेषित। [signature]
[illegible]
उपजिलाधिकारी सदर
मेरठ

नक्शा नजरी
ग्राम - चिन्दौड़ी पट्टी डाल, मेरठ
बाल्मिकी - अनुसूचित जाति के आबादी के
गंदे जल निकासी हेतु

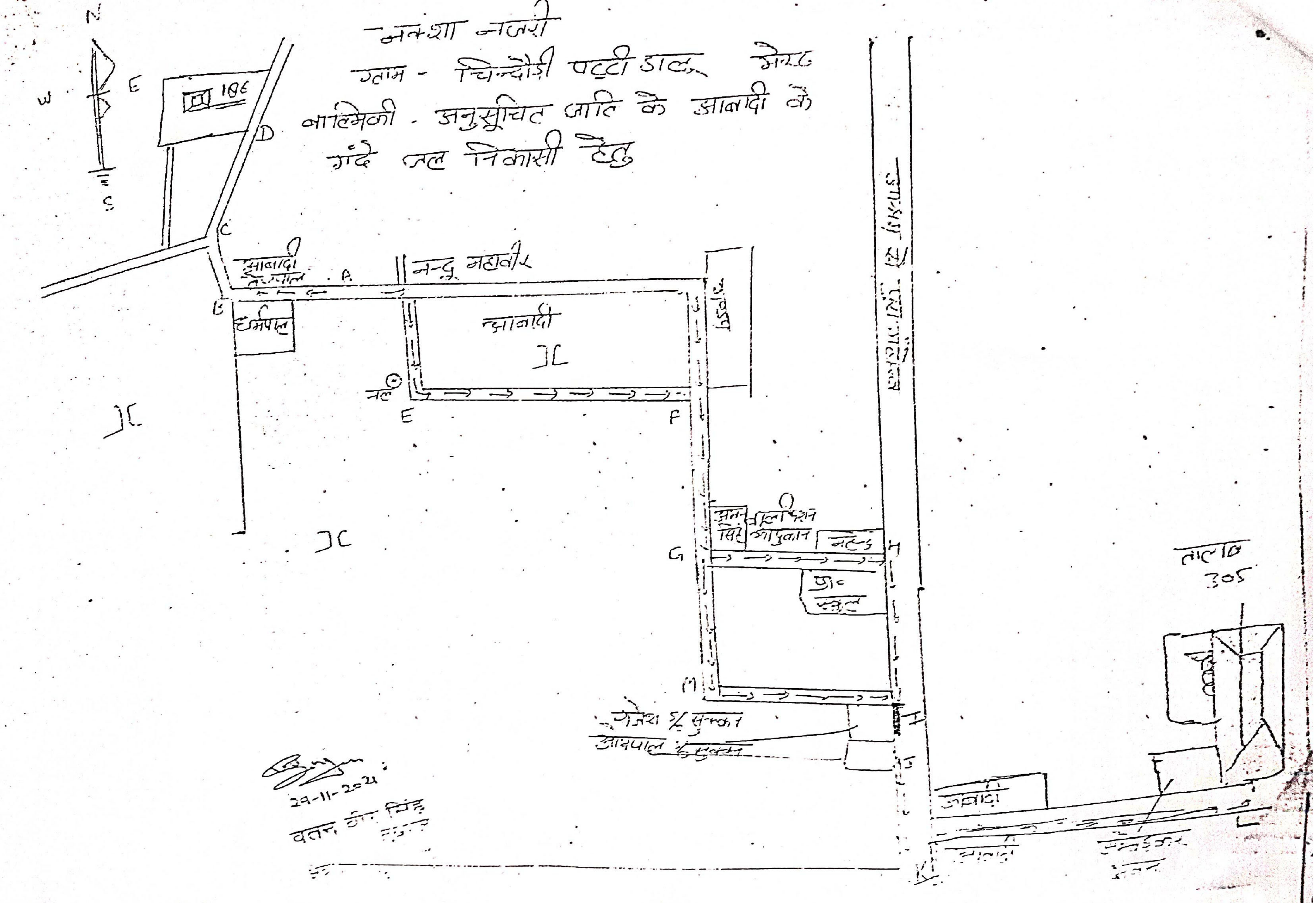

Annexure

115

महोदय

कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ (जन सूचना अनुभाग) संख्या 106/आर० आर० के०-2/सू० अ० अ०/T दिनांक 5-12-2014 जिसमें श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र अमन सिंह नि० चिन्दौड़ी खास द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दि० 25-6-2014 में की गयी कार्यवाही सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आख्या प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया है उक्त के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है

श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र अमन सिंह नि० चिन्दौड़ी खास के द्वारा दि० 25.6.2014 को दिये गये आवेदन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की छाया प्रति आख्या दि० 10-7-14 संलग्न है जो कि रिपोर्ट का अंश है इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा दिये गये अन्य प्रार्थना पत्र के क्रम में दिनांक 5-10-14 को श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी रोहटा व दिनांक 15-12-14 को श्रीमान नायब तहसीलदार चकबन्दी व रा० नि० रोहटा व राजस्व टीम व जिला पंचायत मेरठ के अवर अभियन्ता श्री इन्द्र सिंह एवं अभय सिंह ड्राफ्टमैन की संयुक्त टीम द्वारा खसरा 2660 272 नाला की पैमाईश कर निशानदेही कर दी गयी है नाले की खुदाई जिला पंचायत मेरठ द्वारा की जानी है।

आख्या रिपोर्ट सेवा में प्रेषित

(signature) 9.1.14
फुंवरपाल राठी
लेखपाल
क्षेत्र ____

(signature) 09/1/14

655/ज० सू० अ०

5884

(signature) 9-1-14

Annexure

सजरा नक्शा

खसरा 215, 266, 272

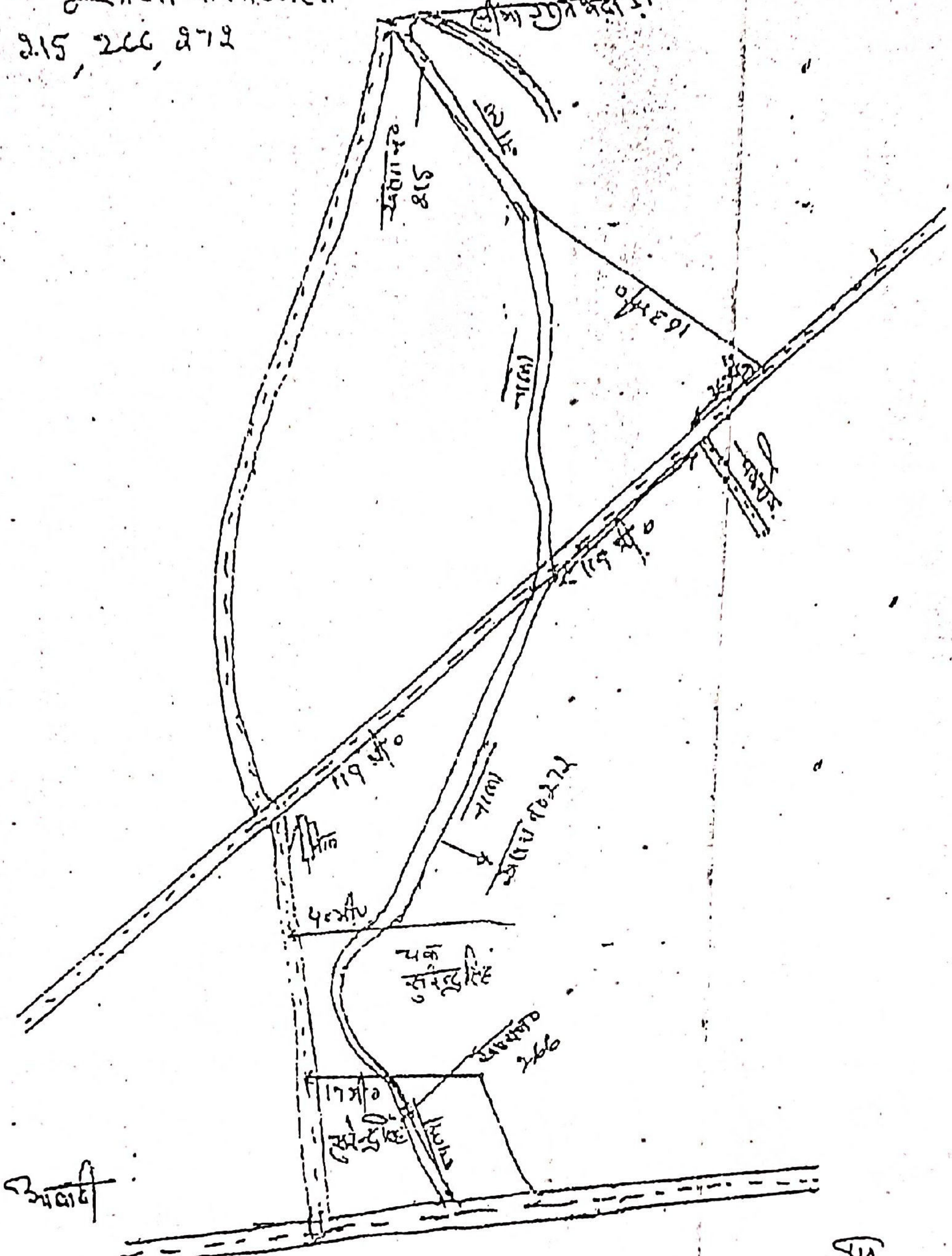

15.12.14

15.12.2014
नायब तहसीलदार (चतुर्थ)
तहसील-मेरठ

Surendrasingh

Annexure-

तहसीलदार मेरठ

महोदय,

श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमन सिंह निवासी ग्राम चिन्दौड़ी खास के प्रार्थना-पत्र एवं श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह एवं श्री गोपाल सिंह निवासी ग्राम चिन्दौड़ी खास तहसील व जिला मेरठ के शिकायती प्रार्थना-पत्र तहसील दिवस संख्या 07340105 दि० 07.10.2014 में नाला पैमाइश के संबंध में तथा खुदाई के विषय में आज दिनांक 15.12.2014 को राजस्व टीम मेरठ व जिला पंचायत मेरठ के अवर अभियन्ता श्री ज्ञान चन्द एवं श्री [illegible] सिंह [illegible] की संयुक्त टीम ने [illegible] शिकायत संख्या 704/[illegible] के संदर्भ में ग्राम भडौली से चिन्दौड़ी खास तक गाटा संख्या 219 रकबा 0.406 हे० स्थित चिन्दौड़ी पट्टी डालू, गाटा संख्या 268 रकबा 0.129 हे०, गाटा संख्या 272 रकबा 0.078 हे० स्थित ग्राम चिन्दौड़ी खास तक (पट्टी डालू) तक शजरे के अनुसार पैमाइश कर निशानदेही कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त साथ अवगत कराना है कि जिला पंचायत मेरठ की टीम निकट भविष्य में जब उक्त नाले की खुदाई व निर्माण का कार्य करेगी तब नाले की भूमि में स्थित फसल को पुलिस बल की उपस्थिति में तत्काल हटवाया जायेगा। इस समय नाले की कुछ भूमि में ईख की फसल खड़ी है।

नाले की पैमाइश के समय चिन्दौड़ी पट्टी डालू एवं चिन्दौड़ी खास के मध्य नाले का मिलान शजरे अनुसार नहीं है। इस कारण चिन्दौड़ी खास में नाले की पैमाइश नहीं की जा सकी है। इस समस्या के समाधान हेतु राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट मेरठ से [illegible] शीट एवं अंतिम शजरे की प्रति प्राप्त कर अवलोकन उपरान्त ही स्थल पर अग्रिम कार्यवाही / पैमाइश की जा सकती है। जाँच आख्या एवं कार्यवाही आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक — स्थल का पैमाइशी [illegible] नक्शा।

[signature] 15.12.2014
नायब तहसीलदार (चतुर्थ)
तहसील-मेरठ

[signatures] 15.12.14

[stamp]

Surendra Singh